

कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा

क्रमांक : एफ.4 / स्था0 / 2016 / 3866-84

दिनांक: 18-11-2016

—: आदेश :—

नगर विकास न्यास कोटा के कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत लंबित प्रार्थना पत्रों के स्वरित व सुगम निस्तारण हेतु इस कार्यालय के पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुये निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। संबंधित लोक सूचना अधिकारी अपने से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों को तत्काल निस्तारण करेंगे:-

क्र.सं.	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	सूचना का प्रकार एवं विवरण
1.	उप सचिव - प्रथम	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	आवंटित शाखा एवं आवंटित स्कीम से सम्बन्धित सूचनाएं।
2.	उप सचिव - द्वितीय	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	आवंटित शाखा एवं आवंटित स्कीम से सम्बन्धित सूचनाएं।
3.	उप सचिव - तृतीय	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	आवंटित शाखा एवं आवंटित स्कीम से सम्बन्धित सूचनाएं।
4.	तहसीलदार	सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक	आवंटित क्षेत्र की 90-ए की कार्यवाही कृषि भूमि पट्टे, विक्रय स्वीकृति, बैंक एन.ओ.सी., नाम हस्तान्तरण एवं अतिक्रमण से सम्बन्धित सूचनाएं।
5.	अधीक्षण अभियन्ता-प्रथम	अधि. अभि. - प्रथम/ तृतीय/ विद्युत/ जल	सम्बन्धित क्षेत्र के तकनीकी कार्य, निर्माण कार्य/विकास कार्य एवं उनके एस्टीमेट, निविदाएं इत्यादि से सम्बन्धित सूचनाएं
6.	अधीक्षण अभियन्ता-द्वितीय	अधि. अभि.-द्वितीय/चतुर्थ/आवास/प्रोजेक्ट	सम्बन्धित क्षेत्र के तकनीकी कार्य, निर्माण कार्य/विकास कार्य एवं उनके एस्टीमेट, निविदाएं इत्यादि से सम्बन्धित सूचनाएं
7.	वरिष्ठ नियोजक	उप नगर नियोजक	ले आउट प्लान, निर्माण स्वीकृति, भू उपयोग परिवर्तन, आवैध निर्माण नियमन, ले आउट प्लान संबंधित बैठक, भूखण्ड पुर्नगठन, एकीकरण, साईट प्लान, स्कीम निर्माण आदि अन्य नगर नियोजन सम्बन्धित कार्य
8.	लेखाधिकारी	सहायक लेखाधिकारी, प्रथम/द्वितीय	समस्त लेखा सम्बन्धित रिकार्ड, भुगतान बिल, समस्त नीलामी, लाटरी, केशियर रिकार्ड इत्यादि
9.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	सहा. कार्या. अधीक्षक	कोर्ट केस से सम्बन्धित सूचना, प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बन्धित, सूचना के अधिकार के तहत अपील की सूचनाएं।

1. समस्त लोक सूचना अधिकारियों से सम्बन्धित प्रस्तुत होने वाली अपीलों के निस्तारण हेतु प्रथम अपील अधिकारी सचिव, नगर विकास न्यास कोटा रहेंगे।
2. सूचना में देरी अथवा अन्य प्रकार से लगने वाली शास्ती का दायित्व लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं कर्मचारी का रहेगा। सूचना के अभाव में लगने वाली शास्ती का निम्न प्रकार से निर्धारण किया जाता है:-

कृषि भूमि रूपान्तरण शाखा

सम्बन्धित पटवारी	33.3 प्रतिशत
सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक	33.3 प्रतिशत
सम्बन्धित तहसीलदार	33.3 प्रतिशत

तकनीकी शाखा	
सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता	25 प्रतिशत
सम्बन्धित सहायक अभियन्ता	25 प्रतिशत
सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता	25 प्रतिशत
सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता	25 प्रतिशत

अन्य शाखा	
सम्बन्धित लिपिक	33.3 प्रतिशत
सहायक प्रशासनिक अधिकारी	33.3 प्रतिशत
उप सचिव	33.3 प्रतिशत

नगर नियोजन शाखा	
वरिष्ठ नगर नियोजक	33.3 प्रतिशत
उप नगर नियोजक	33.3 प्रतिशत
सम्बन्धित कर्मचारी	33.3 प्रतिशत

लेखा शाखा	
सम्बन्धित कनिष्ठ लेखाकार	33.3 प्रतिशत
सहायक लेखाधिकारी	33.3 प्रतिशत
लेखाधिकारी	33.3 प्रतिशत

Shik 18/11/16
सचिव

नगर विकास न्यास कोटा।

दिनांक: 18-11-16

क्रमांक : एफ.4/स्था0/2016/ 3866-84

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति0 मुख्य सचिव महो0, नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव -प्रथम, नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, नगर विकास न्यास, कोटा
4. निजी सहायक सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा
5. उप सचिव- प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगर विकास न्यास कोटा।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, नगर विकास न्यास कोटा।
7. अधीक्षण अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय, नगर विकास न्यास कोटा।
8. लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, नगर विकास न्यास कोटा।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास कोटा।
10. अधिशाषी अभियन्ता- प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/जल/विधुत/हाउसिंग/प्रोजेक्ट/उद्यान, नगर विकास न्यास कोटा।
11. वरिष्ठ विधि अधिकारी, नगर विकास न्यास कोटा।
12. तहसीलदार -प्रथम/द्वितीय, नगर विकास न्यास कोटा।
13. सहायक प्रशासनिक अधिकारी, नगर विकास न्यास कोटा।
14. समस्त शाखा, नगर विकास न्यास कोटा।
15. काउन्टर लिपिक/सूचना लिपिक, नगर विकास न्यास कोटा।

Shik
उप सचिव-प्रथम
नगर विकास न्यास कोटा।